

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अगर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर सिंगरौली के परिक्षेत्र बैढ़न के वनखण्ड दुधीचुआ की रकबा 443.000 हेक्टेयर वनभूमि एवं ग्राम मंदौली के विभिन्न खसरो की 24.809 हे. राजस्व वनभूमि कुल 467.809 हे. वन / राजस्व वनभूमि में उपरितल कोयला खनन कार्य हेतु मेसर्स 'नार्दन कोल फील्ड्स लिमिटेड (उत्तरप्रदेश) को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	--	----	---

दिनांक: 22/11/22
स्थान: भोपाल



(कैप्टन अनिल कुमार खरे)

सचिव

म.प्र. शासन वन विभाग

(कैप्टन अनिल कुमार खरे)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)

भाग-IV

(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रति कुछ टिप्पणियों की सुरूपष्ट समीक्षा की जांच और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।	17	रीवा वृत्त के अंतर्गत वन मंडल, सिंगरौली के परिक्षेत्र बैढ़न के वनखण्ड दुधीचुआ की रकबा 443.00 हेक्टेयर वन भूमि एवं ग्राम मंदौली के विभिन्न खसरों की 24.809 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि कुल 467.809 हे. वन/राजस्व वन भूमि में उपरितल कोयला खनन कार्य हेतु मेसर्स नादर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश) को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	---

तिथि: 18.09.2017
स्थान: भोपाल


(J.N.L. AGRAWAL)
Addl. Principal Chief Conservator of Forest
(Land Management)
Madhya Pradesh, Bhopal